न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2019

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातून एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
30.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.01.2025 अंदर आदेश 39 नियम 01(क) और व्य0 प्र0 सं0 की धारा 151 के अंतर्गत दाखिल किया गया है तथा वादीगण द्वारा आवेदन का कारण पृच्छा दिनांक 13.05.2025 को दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 27.01.2025 आज दिनांक 30.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादग्रस्त भूमि मद नं0–02 पर प्रतिवादीगण का दखल–कब्जा पूर्ण हकीयत के साथ है तथा 40–50 वर्षो से ईंट एवं खपड़ैल का मकान अवस्थित है तथा काफी जीर्णशीण अवस्था में हो गया है। जिसमें प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का परिवार निवास करता है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के जीर्ण शीर्ष मकान दक्षिण के दिवाल के सटे वादीगण द्वारा पानी का नाली बनाकर पानी बहाया जाता है जिससे कच्चा ईंट का पुराना दिवाल काफी कमजोर एवं जीर्ण हो गया है तथा बरसात का पानी प्रतिवादीगण के घर में घुस जाता है। जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा मकान का छपपर का बांस–बाती एवं खपड़ा सड़ एवं फुट गया है। जिससे बरसात में पानी घरों में ही गिरता है जिससे रहने में काफी कठिनाइयों का सामना प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण के घर के पश्चिम किनारे पर वादीगण द्वारा मवेशियों का गोबर रखा जा रहा है जिससे बदबू के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को वादग्रस्त भूमि उनके दादा को बंदोबस्ती अंचल नरकटियागंज वाद सं0–286/1969–70 तथा अनुमंडल वाद सं0–133/1969–70 द्वारा प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण के	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2019

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातून एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2026	पिता जोखू मियां के नाम अंचल नरकटियागंज में जमाबंदी सं0–152 कायम है, जिसका मालगुजारी का भुगतान प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष बिहार सरकार को करते आ रहे है। न्यायहीत में प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को जीर्ण शीर्ष मकान गिरने की स्थिति में है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को रह रहे जीर्ण शीर्ष मकान का जीर्णोद्धारा करना अति आवश्यक है तथा वादी को प्रतिवादी के मकान से दक्षिण दिवाल पर बह रहे नाली को रोकना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष की मकान का पुर्ननिर्माण मरम्मती करने की अनुमति दी जाए। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के आवेदन का कारण पृच्छा दिनांक 12.05.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन गलत, बेबुनियाद और नियम के विरूद्ध है इसलिए खारिज होने योग्य है। आवेदक को ऐसा कोई कारण हासिल नहीं है जिसके आधार पर वर्तमान आवेदन परिपालनीय हो। आवेदन के कंडिका–01 में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा काल्पनिक तथ्य दिया गया है। वादग्रसत भूमि पर उनका 40–50 वर्षो से ईट–खपरैल का मकान नहीं है। साथ ही प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादग्रस्त भूमि पर स्थित मकान में नहीं रहते है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जे की भूमि है, जिसपर 100 वर्षो से वादीगण का मकान मय सहन के रूप में दखल–कब्जा है, जिससे प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नहीं है। वादीगण का पानी नाला से होकर बहता है इसलिए प्रतिवादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है जो विश्वसनिय नहीं हो सकता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का दखल–कब्जा है इसलिए उसके विरूद्ध प्रतिवादीगण का कोई भी कथन विधि मान्य नहीं हो सकता। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2019

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातून एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2026	प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन न्यायहित में खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 27.01.2025 को अंदर आदेश 39 नियम 01(क) एवं धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया है एवं प्रार्थना किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के मद नं0–02 पर प्रतिवादीगण का दखल–कब्जा है तथा 40–50 वर्षो से ईट एवं खपरैल मकान अवस्थित है जो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा गिरने की स्थिति में है। मकान का जिर्णोद्धार अतिआवश्यक है। अतः मकान के पुर्ननिर्माण करने की अनुमति दी जाए तथा वादी के बहाये जा रहे नाले एवं गोबर का मान को रखने से रोकने की कृपा की जाए। दूसरी ओर वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा काल्पनिक तथ्य दी गई है। वादीगण का पानी नाला से होकर बहता है इसलिए प्रतिवादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है जो विश्वसनीय नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को स्वत्व अधिकार तथा दखल कब्जा है। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन खारिज होने योग्य है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन मौजूद नहीं है और ना ही प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किए गए मकान के जीर्णशीर्ण अवस्था के बारे में अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया का मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है और न ही सुविधा का तुला प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन खारिज होने से प्रतिवादी प्रथम पक्ष को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी। चूंकि यह वाद वादीगण द्वारा लाया गया है और वाद में सभी प्रतिवादीगण	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–267/2019</u>

अमीरी साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रूबी खातून एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2026	उपस्थित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 18.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	